



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072021-228234
CG-DL-E-12072021-228234

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2569]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 2021/आषाढ़ 21, 1943

No. 2569]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 2021/ASHADHA 21, 1943

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2021

का.आ. 2774(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा, 'हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड' (पैन-एएएटीएच6995एच) जो हरियाणा सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड है, को उक्त बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, नामतः—

- (क) 'हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड' के साथ पंजीकृत लाभग्राहियों के रूप में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से एकत्र पंजीयन शुल्क एवं वार्षिक शुल्क अंशदान;
- (ख) बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर उपशुल्क अधिनियम, 1996(1996 का 28) तथा उसके अंतर्गत नियमों के अधीन एकत्र उपशुल्क के आगम; तथा
- (ग) निवेश से प्राप्त ब्याज आय।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर कंसट्रक्शन वर्कर्स वेल्फेयर बोर्ड, —
- (क) किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप में व्यस्त नहीं होगा;
 - (ख) कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्त वर्ष अपरिवर्तित रहेगी; तथा
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा(4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा;
 - (घ) सनदी लेखाकार से एक प्रमाण पत्र सहित कि उपर्युक्त शर्तें पूरी कर ली गई हैं, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2) के स्पष्टीकरण में यथा प्रावधानित लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित विवरणी के साथ एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट दाखिल करेगा।
3. इस अधिसूचना को वित्त वर्ष 2020-21 में 01.06.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए लागू किया गया समझा जाएगा तथा वित्त वर्ष 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 तथा 2024-2025 से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 78 /2021 फा.सं. 300196/5/2018-आईटीए-1]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अधिसूचना को पिछले प्रभाव से लागू करने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।